न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–131/2005

CIS NO. TS-309/2019

मो0 मुस्लिम..वादी

बनाम

मो0 मुर्तुजा देवान एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20.09.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.07.2023 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 06.07.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दस्तावेज दिनांक 22.01.1972, 09.03.1973, 11.05.1977, 14.03.1981 एवं 25.04.1977 की सच्ची प्रति दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दाखिल दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादी सं0–01 श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 31.07.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल किया गया कागजात वाद विवाद्य के गठन के बाद दाखिल किया है, जो ग्रहण किये जाने योग्य नही है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागया को सुना। अभिलेख	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–131/2005

CIS NO. TS-309/2019

मो0 मुस्लिम...वादी
बनाम
मो0 मुर्तुजा देवान एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 20.09.2024	का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 06.07.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेजों को ग्रहण करते हुए आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 30.10.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	